

In the said notification,—

(i) in the Table, against serial number 1, in column (2), after the words and brackets “goods transport agency (GTA)” the words and figure “, who has not paid central tax at the rate of 6%,” shall be inserted;

(ii) in the Explanation, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

“(e) A “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.”.

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 23/2017-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1048(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा;—

“(iii) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।”

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 23/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.17/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.”.

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 17/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 20/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1049(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 20 के खंड (iii) और खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
“(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,— (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं; (ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनायें; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन, या (iii) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हों। (iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्नलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा—	12	-
	12	-